भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

.....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1055
(3 दिसम्बर, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण निर्धनों के लिए ऋण के स्रोत

1055. श्री दिलीपभाई पंडया :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बैंकों द्वारा आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत स्व-सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है जिसके लिए नकद ऋण या पूंजी ऋण के प्रत्येक मामले में निर्धन व्यक्तियों को फॉर्म भरने, दस्तावेज संलग्न करने आदि जैसे परम्परागत तरीके से गुजरना पड़ता है जिसके चलते बहुत ज्यादा प्रक्रियागत जटिलताओं से दो चार होना पड़ता है और इसकी कोई तार्किकता न होने के कारण बहुत सारे मामले निरस्त कर दिए जाते हैं ;

(ख) क्या ग्रामीण निर्धनों को किसान क्रेडिट कार्ड या दस्तकार क्रेडिट कार्ड जैसे ऋण के सरल साधन उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क) से (ग): भारत सरकार के समग्र नीतिगत ढांचे के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित मानक दिशा निर्देशों के आधार पर सभी आवेदकों के लिए ऋण स्वीकृत किया जाता है । स्व-सहायता समूह (एसएचजी) गरीबों को वित्तीय सेवाएं और बैंकों से ऋण दिलाने के साधन हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण दिलाने के प्रयोजनार्थ स्व-सहायता समूहों को अनौपचारिक समूह माना है । स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) /राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत स्व-सहायता समूह बैंकों से ऋण लेकर आगे अपने सदस्यों को समूह के मानकों के अनुसार ऋण देते हैं ।

एनआरएलएम के अंतर्गत सभी राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे स्व-सहायता समूह के सदस्यों को बैंको की प्रक्रियाएं समझाने के उद्देश्य से उन्हें वित्तीय सेवाओं के संबंध में बुनियादी जानकारी प्रदान करें । इसके अतिरिक्त एनआरएलएम के अंतर्गत ब्लाक स्तर पर "बैंक मित्रों" या ऋण परामर्शदाताओं के रूप में एक नई पहल की गई है । यह परामर्शदाता बैंक में खाता खोलने, ऋण के वितरण इत्यादि से जुड़ी कागजी कार्रवाई में सभी स्व-सहायता समूहों के सदस्यों की मदद कर रहे हैं ।

*****